



हरियाणा सरकार

कारागार विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 2013-14

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

**Review of the Annual Administrative Report of the Haryana Jails
Department for the Year 2013-14.**

In the year 2013-14 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails Department :-

1.	Central Jails Ambala, Hisar I & Hisar II	03
2.	District Jails Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonapat, Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Faridabad, Narnaul, Palwal, Panipat and Jhajjar	16
3.	Jail Training School, Karnal	01
4.	Office of the District Probation Officers Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani and Sirsa.	08
TOTAL		28

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the State as on 01.01.2013 were 16,909. During the calendar year 2013, 58,006 prisoners were admitted in the jails at different point of time. At the end of the Calendar year, (December 2013) 17,655 prisoners were lodged in all the jails in Haryana.

3. The number of convicts in Judicial Lockups were 6,691 as on 01.01.2013. During the calendar year 2013, 4,527 more prisoners who were convicted either by the courts in Haryana or came on transfer from other places were admitted in jails in Haryana. During the calendar year 2013, 4,190 convicts were released from jails and 7,028 convicts remain lodged in jails at the end of the calendar year (December 2013). The number of civil prisoners as on 31-12-13 is 10.

4. The number of undertrial prisoners as on 01.01.2013 was 10,218. During the calendar year 2013, 54,167 more undertrial prisoners were admitted in Jails. Out of total 64,385 undertrial prisoners, 53,758 were released on bail/appeal/acquitted etc. A total of 10,627 undertrial prisoners remained lodged in jails at the end of the year (December 2013).

5. Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.01.2013 were 745. During the calendar year 2013, 1,958 more women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails). Out of them 1,873 women prisoners were either released or transferred to other Jails. Therefore, number of

women prisoners in all the jails at the end of the year were 830 (December 2013). 76 children kept in jail alongwith their mothers as on 31-12-2013.

6. During the year 2013-14 a sum of Rs. 1,28,64,42,000/- were spent on the protection, diet etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 72,865/- (Rs. 199.63 per prisoner per day). During the previous year 2012-13 a sum of Rs. 97,36,53,663/- were spent on the protection, diet etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 57,500/- (Rs. 157.53 per prisoner per day). During this financial year 2013-2014 a sum of Rs. 26,63,56,440/- were spent on the diet of the prisoners. The food expenditure of per capita annual expenditure was Rs. 15086/- (Rs. 41.33 per prisoner per day).

7. During the year 2013-14, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation facilities inside the Jails. T.B patients were isolated and admitted in special wards. They were given suitable medical treatment. In order to improve the general sanitation, flush latrines with under ground sewerage system were provided for the prisoners in all the jails of Haryana. Fans were provided in the barracks for the prisoners.

During the year under report, the standard of discipline in the jails was satisfactory. The detail of incidents of indiscipline which came to notice are as under:-

- | | |
|---------------------|--|
| (a) Quarrels/Brawls | During the year 2013-14, there was 13 quarrel/brawl in Jails of the State. |
| (b) Hunger Strike | During the year 2013-14, no prisoner resorted to hunger strike. |
| (c) Escape | During the year 2013-14, no prisoner escaped from the Jails of Haryana. |
| (d) Attack | During the year 2013-14, there was no case of attack by the prisoners. |

92 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 3,715 prisoners were released on parole/furlough during the calendar year 2013. The prisoners are kept in the jails nearest to their home as far as possible. The prisoners whose conduct in jail was adjudged good and who were otherwise eligible as per Jail Manual were awarded special remission as per the rules by the concerned Superintendent Jail.

8. For mental and physical development of the prisoners, arrangements for lectures for spiritual and physical well being of the prisoner were made. Arrangements for morning and evening prayers, prisoner meetings, radio programmes, indoor and outdoor games and practices of yoga had also been

made. 1,167 lectures, 49 dramas and 188 cultural programmes were organized in the jails during the year under report. For the recreation of prisoners, television sets with cable connection have also been provided in Jails.

9. The details of production in the factories in jails are given in table below:-

Sr. No.	Name of Jails	2012-13	2013-14
1.	C.J. Ambala	7,12,716	7,15,503
2.	C.J. Hisar-I	7,03,430	23,88,936
3.	C.J. Hisar-II	44,236	--
4.	D.J. Rohtak	1,76,867	2,65,295
5.	D.J. Karnal	11,36,915	8,50,384
6.	D.J. Narnaul	1,08,920	86,516
7.	D.J. Bhiwani	74,844	14,772
8.	D.J. Gurgaon	37,369	4,22,630
9.	D.J. Faridabad	60,522	--
10.	D.J. Yamunanagar	4,82,963	5,29,506
11.	D.J. Kurukshetra	6,514	44,862
	Total:	35,45,296	53,18,404

10. During the year 2013-14, 114 prison officers were imparted training in various Institutions.

11. The prisoners were provided the facilities for purchasing commodities at reasonable rates for their personal use such as sugar, tea, gur, ghee, soap, oil etc. from the canteen opened in the Jails. These canteens have been opened in all the Central Jails and District Jails and are being run as per Jail Canteen Management Rules, 1965.

12. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distribution of ration and other goods. The prisoners were given training in industrial and agricultural practices according to their choice by arranging training programme from time to time.

P.K. MAHAPATRA,

Additional Chief Secretary to
Government Haryana,
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.12.2013 there was a provision for accommodation of 16,647 prisoners in Haryana, where as the number of prisoners at the end of the year as on 31-12-2013 were 17,655. The present authorized accommodation of prison inmates was sufficient to accommodate present prison population in many jails. However, there are some jails which are overcrowded.

2. In the year 2013-14, no prisoner escaped from the Jails of Haryana. There was 13 cases of any brawl in jails of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack by the prisoners during the calendar year.

3. In the year 2012-13 goods worth Rs. 35,45,296 were produced in the industries being run in the jail but production of good increased to Rs. 53,18,404 during the year 2013-14. In the calendar year 2013, 92 life term prisoners were released prematurely. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 3,715 prisoners were released on parole/ furlough.

P.K. MAHAPATRA,
Additional Chief Secretary to
Government Haryana,
Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2013-14 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित संस्थाएँ जेल विभाग के अधीन कार्यरत रही :-

- | | |
|--|----|
| 1. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार I एवं हिसार II | 03 |
| 2. जिला जेल रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर। | 16 |
| 3. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल। | 01 |
| 4. जिला परिवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार। | 08 |

कुल

28

2. राज्य की सभी जेलों तथा ज्यूडिशियल लोकअप में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.01.2013 को 16,909 रही। कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान 58,006 बन्दी विभिन्न समय पर जेलों में दाखिल हुए। वर्ष 2013 के अन्त में 31.12.2013 को हरियाणा राज्य की जेलों में 17,655 बन्दी शेष रहे।

3. कैदी बन्दियों की संख्या 01.01.2013 को 6,691 थी। कैलेण्डर वर्ष 2013 में 4,527 कैदी बन्दी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान 4,190 बन्दी जेलों से छोड़े गये। इस प्रकार कैलेण्डर वर्ष 2013 के अन्त में दिनांक 31.12.2013 को कुल 7,028 कैदी बन्दी जेलों में रह गये। दिनांक 31.12.2013 को 10 सिविल बन्दी थे।

4. विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.01.2013 को 10,218 थी। इस वर्ष 2013 में जेलों में 54,167 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये। कुल 64,385 विचाराधीन बन्दियों में से 53,758 विचाराधीन बन्दी बेल/अपील/बरी अन्य पर रिहा किये गये और वर्ष 2013 के अन्त में 31.12.2013 को 10,627 विचाराधीन बन्दी जेल में शेष रहे गये।

5 हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.01.13 को स्त्री बन्दीयों की संख्या 745 थी। वर्ष 2013 के दौरान 1,958 स्त्री बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलों से बदल कर आये। 1,873 स्त्री बन्दीयों को रिहा किया या दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा गया इसलिये वर्ष 2013 के अन्त में 31.12.2013 को स्त्री बन्दीयों की संख्या 830 थी। दिनांक 31.12.2013 को 76 बच्चे जेलों में अपनी माता के साथ रखे हुये थे।

6 बन्दीयों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर वर्ष 2013-14 में 1,28,64,42,000/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 72,865/- रुपये हुआ (199 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)। बन्दीयों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष भर 2012-13 में 97,36,53,663/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 57,500/- रुपये हुआ (157 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)। वर्ष 2013-14 में जेलों में बन्दीयों के खाने पर 26,63,56,440/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 15086/- रुपये हुआ (41 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)।

7 बन्दीयों का स्वास्थ्य 2013-14 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई व शौचालय सुविधायें प्रदान की ओर विशेष ध्यान दिया गया तपेदिक के रोगियों को अलग व स्पेशल वार्ड में रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया। जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतु बन्दीयों के लिये भूमिगत सीवरज तथा शौचालयों का प्रबन्ध किया गया। बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटाये गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। बन्दीयों की बैरकों में बिजली के पखे लगाये हुये हैं। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा। बन्दीयों की अनुशासनहीनता का ब्यौरा, निम्न प्रकार से है :-

(क)	झगड़े के मामले	-	वर्ष 2013-14 भर में राज्य की सभी जेलों पर 13 उपद्रव हुये।
(ख)	भूख हड़ताल	-	वर्ष 2013-14 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
(ग)	फरारी	-	वर्ष 2013-14 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ।
(घ)	आक्रमण	-	वर्ष 2013-14 में बन्दीयों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।

कैलेण्डर वर्ष 2013 में 92 आजीवन कारावास बन्दीयों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3,715 बन्दीयों को इस वर्ष के दौरान पैरोल/फरारों पर रिहा किया गया। जहाँ तक संभव हो सका बन्दीयों को उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा

जाता है। जिन बन्दीयों ने अच्छा कार्य किया तथा जो बन्दी जेल मैनुअल के अनुसार माफी के पात्र थे उन्हें सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा विशेष माफी नियमानुसार दी गई।

8 मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये आध्यात्मिक और शारीरिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सायं काल प्रार्थना सभाओं, बन्दी सभाओं, रेडियों, खेलों के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। इस वर्ष 1,167 व्याख्यान, 49 ड्रामे और 188 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। बन्दीयों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में टेलीविजन केबल सहित सैट भी लगाये हुये हैं।

9 जेलों में तैयार किये गये माल के मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

Sr. No	Name of Jails	2012-13	2013-14
1	C.J. Ambala	7,12,716	7,15,503
2	C.J. Hisar-I	7,03,430	23,88,936
3	C.J. Hisar-II	44,236	--
4	D.J. Rohtak	1,76,867	2,65,295
5	D.J. Karnal	11,36,915	8,50,384
6	D.J. Narnaul	1,08,920	86,516
7	D.J. Bhiwani	74,844	14,772
8	D.J. Gurgaon	37,369	4,22,630
9	D.J. Faridabad	60,522	--
10	D.J. Yamunanagar	4,82,963	5,29,506
11	D.J. Kurukshetra	6,514	44,862
Total:		35,45,296	53,18,404

10. वर्ष 2013-14 में 114 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

11. बन्दीयों को उचित मूल्य पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, गुड़, घी, साबुन, तेल इत्यादि की खरीद की सुविधा दी गई है। ये कैन्टीन सभी केन्द्रीय कारागारों और जिला कारागारों में हैं और यह कैन्टीनें जेल कैन्टीन मैनेजमेंट, नियम 1965 अनुसार चलाई जा रही है।

12. भिन्न-भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दीयों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दिया। समय-2 पर बन्दीयों को उनकी रूचि के अनुसार उद्योग तथा आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

पी0के0 महापात्रा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा,
जेल विभाग।

समालोचना

वर्ष 2013 के अन्त में 31-12-2013 तक हरियाणा में 16647 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष 2013 के अन्त में बन्दियों की संख्या 17,655 थी। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता कई जेल पर बन्दियों की गिनती अनुसार पर्याप्त थी। फिर भी राज्य की कई जेलों में बन्दियों की संख्या अधिक है।

वर्ष 2013-14 में जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई आक्रमण का मामला नहीं हुआ। वर्ष भर में बन्दियों द्वारा आपस में 13 झगड़े हुये। पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल भी नहीं की।

वर्ष 2012-13 में रुपये 35,45,296 के मूल्य का माल जेलों की उद्योगशालाओं में तैयार किया गया जबकि वर्ष 2013-14 में 53,18,404/- रुपये का माल तैयार हुआ था। कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान, 92 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 3,715 बन्दियों को पैरोल/ फलों पर छोड़ा गया।

पी0के0 महापात्रा
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा,

अध्याय-1

1. प्रस्तावना

जेल विभाग का 1.4.2013 से 31.3.2014 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास

रहा :-

1. श्री शरद कुमार, भा0पू0से0 18.2.2013 से 2.8.2013
2. श्री यशपाल सिंगल, भा0पू0से0 5.8.2013 से 31.3.2014

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :-

1. डॉ0 के0पी0 सिंह, भा0पू0से0
अपर महानिदेशक, कारागार, हरियाणा।
2. श्री जगजीत सिंह, अपर महानिरीक्षक कारागार।
3. श्री वी0के0 शर्मा, मुख्य लेखा अधिकारी।
4. श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायाधीश।
5. श्रीमती सुरेश बाला, कार्यालय अधीक्षक।
6. श्री लखबीर बराड़, उप अधीक्षक, जेल हेडक्वार्टर।
7. श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी।
8. श्रीमती नीलम नागी, उप अधीक्षक।
9. श्री रामबीर, उप अधीक्षक।

2. संस्थायें :

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :-

- | | |
|--|----|
| क. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार I एवं हिसार II | 03 |
| ख. जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर। | 16 |
| ग. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल | 01 |
| घ. जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुड़गांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार। | 8 |

कुल जोड़

28

नई जेलों का निर्माणाधीन

जेल में बन्दियों की भीड़ को देखते हुये निम्न जेलों का निर्माण/भूमि अभिग्रहण निम्न प्रकार से है :-

1. सरकार द्वारा बच्चा जेल को नई केन्द्रीय जेल हिसार II के नाम में तबदीली करने की स्वीकृति पत्र क्रमांक 31/77/2007/4जेजे II दिनांक 6.9.2013 से प्राप्त होने पर केन्द्रीय जेल हिसार-II का उद्घाटन 15.9.2013 को महानिदेशक कारागार द्वारा किया गया।
2. पंचकूला जिला में 50 एकड़ भूमि में जेल बनाने के लिये भूमि उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही चल रही है।
3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3747/50 दिनांक 31.1.2014 द्वारा उपायुक्त फतेहाबाद को जेल भवन के निर्माण हेतु भूमि अभिग्रहण करने बारे धारा 4 की अधिसूचना का प्रारूप तैयार करने के लिये लिखा जा चुका है।
4. पानीपत जेल के लिये 47 एकड़ 6 मरला भूमि उपलब्ध है 2013-14 में यह भूमि खेती हेतू ठेका पर दी हुई थी। 2014-15 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।
5. नई रिवाड़ी जेल बनाने के लिये 50 एकड़ 2 कनाल 12 मरला भूमि उपलब्ध है।
6. नई माडन जेल डबवाली में 4 एकड़ भूमि में जेल बनाने की स्वीकृति 31/51/98-4 जेजे II दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्राप्त हो चुकी है।
7. नई मेवात जेल बनाने के लिए 29 एकड़ 4 कनाल 3 मरला भूमि उपलब्ध है। भवन के निर्माण हेतू डाईंग तैयार करने के लिये कार्यालय के पत्र क्रमांक 12475-76 दिनांक 3.5.2013 को वास्तुकला विभाग को लिखा जा चुका है।
8. नई जिला जेल पलवल के लिये भूमि अभिग्रहण हेतू 65 एकड़ 15 मरला भूमि की सैक्शन 4 एवं 6 की अधिसूचना सरकार के यादी क्रमांक 31/12/2010-4 जेजे II दिनांक 1.4.2014 द्वारा जारी की जा चुकी है।

भूमि स्थानांतरण

1. विभाग की फरीदाबाद जिला में 12.83 एकड़ भूमि पुलिस विभाग को स्थानांतरण करने बारे पत्र क्रमांक 21990 / 92 दिनांक 5.8.2013 द्वारा लिखा जा चुका है।
2. पुरानी जिला जेल महेन्द्रगढ़ की जमीन पुलिस विभाग को स्थानांतरण करने बारे विभाग द्वारा सरकार को लिखा जा चुका है।

सुधार तथा सुविधायें

वर्ष 2013-14 में जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही। बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

पैरोल/फरलो

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देशी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी। दिनांक 1.10.2012 को पैरोल अधिनियम में संशोधन किया गया। कौदियों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिये पैरोल अधिनियम में दिनांक 21.2.2014 को भी संशोधन किया गया।

समय पूर्व रिहाई

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे नीति को अपने यादी क्रमांक 46/23/2000-4 जेजे-I, दिनांक 12.04.02 द्वारा संशोधित किया था। इस नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा जेल में 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करुणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा जेल में 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी क्रमांक 36/135/91-1 जेजे-I, दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार बनाम जगदीश की रिट पैटीशन में पारित आदेश 22.3.2010 जोकि किमिनल अपील नम्बर 566 आफ 2010 (Arising out of SLP) Cri. Mic. No. 6638 of 2009 में पारित को ध्यान में रखते हुये बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के केंसिज का निर्णय लेने हेतू उनकी सजा की तिथी के समय से जो पालिसी लागू होती है, उस बन्दी का समय पूर्व रिहाई केंस उस पालिसी के अनुसार निर्णय लिया जाए के आदेश पारित किये गये थे। यथानुसार कैलेण्डर वर्ष 2013 में 92 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुये सरकार की सम्बन्धित पालिसी अनुसार समय पूर्व रिहा किया गया।

ग. हरियाणा कारागार का सुधार

जनहित याचिका संख्या 15041/07 में माननीय मुख्य न्यायाधीश टी0एस0 ठाकुर तथा माननीय न्यायाधीश जसबीर सिंह द्वारा पारित आदेशों के मध्यनजर हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 9.10.2009 के अन्तर्गत जेलों में सुधार सम्बन्धी सुझाव देने हेतु तीन सदस्यों की कमेटी माननीय जस्टिस जे0एस0 शेखों (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित की गई। उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 2010 में राज्य सरकार को सौंपी। उक्त रिफार्मस कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को लागू करने हेतु सरकार ने महानिदेशक कारागार/एल0आर0/संयुक्त सचिव गृह की एक कमेटी गठित कर दी है। जिसको लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

घ. कैदियों की बदली

कई कैदियों के रिश्तेदारों तथा मित्रों को मुलाकात करने में वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब कैदियों को जहाँ तक सम्भव हो उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके परिवार वाले तथा मित्रों को कैदियों से मिलने में कठिनाई ना हो।

ड. विडियों कांन्फेंसिंग

19 जेलों के साथ विभिन्न न्यायालयों के साथ विडियो कांन्फेंसिंग सुविधा चल रही है। बन्दियों की पेशी विडियो कांन्फेंसिंग द्वारा भी करवाई गई है। जेल रिफार्मस कमेटी की सिफारिशों अनुसार दिनांक 15.1.2011 से बन्दियों के रिश्तेदारों जोकि राज्य की अन्य जेल में बन्द है, की मुलाकात आपस में विडियो कांन्फेंसिंग सुविधा से करने की अनुमति दी जा चुकी है।

च. कैन्टीन

केंद्रीय तथा जिला जेल बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, घी, चाय, तेल, साबुन तथा गुड आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में अनाधिकृत वस्तुओं पर नियन्त्रण रहा है और यह कैन्टीन जेल कैन्टीन मैनेजमेंट, नियम 1965 के तहत चल रही है। जेल कैन्टीन से वर्ष 2013-2014 में 35,03,870 का लाभ हुआ जो पैसा बन्दियों के कल्याण हेतु खर्च किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 में जेल कैन्टीन से 18,31,576/-का लाभ हुआ जोकि इस वर्ष कुल रुपये 16,72,294 के लाभ में वृद्धि हुई।

छ. बन्दी पंचायतें

मिन्न-2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

ज.

छूट

जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

आ.

पंखे

बन्दियों को बैरकों में पखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके।

ण.

नल

कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

त.

गन्दे पानी का निकास

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

थ.

फलश टाईप शौचालय

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है तथा गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर करने का प्रबन्ध किया गया है।

द.

बन्दियों का मनोरंजन

बन्दियों के मनोरंजन के लिए जेलों में रेडियों/टेलिविजन सैट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।

4.

भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए मिन्न-2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि खेल, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सांय की प्रार्थना सभाएं, रेडियो प्रोग्राम इत्यादि हैं। प्रतिदिन टेलिविजन शो भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पब्लिक द्वारा 1,167 व्याख्यान, 49 झूमें तथा 188 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

5.

वार्डर गार्ड :- अब केवल वार्डर गार्ड का एक ही हेडक्वार्टर, जोकि मुख्य कार्यालय महानिदेशक कारागार, हरियाणा में स्थित है। इस विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार है:-

मुख्य वार्डर

255

वार्डर

2368

मैटरन

47

महिला वार्डर

138

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा। इस वर्ष 965 नये जेल वार्डरों को भर्ती किया गया था।

6. जेल निरीक्षण

माननीय उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

*स्वास्थ्य अधिकारी 867

*कार्यकारी अधिकारी 110

*जूडिशियल अधिकारी 689

*अन्य 127

7. चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2013-14 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

अध्याय -2

उद्योग

वित्त वर्ष 2012-13 में कुल उत्पादन रुपये 35,45,296/- का हुआ एवं वित्त वर्ष 2013-14 में कुल उत्पादन रुपये 52,18,404/- का रहा जो पिछले वित्त वर्ष से 16,73,108/- अधिक रहा।

निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में निम्नलिखित जेलों की कैन्टीन की बिक्री का ब्योरा :-

Jail Canteen Year 2013-14			
Name Of Jail	Sale	Profit	
C.J. Ambala	23,31,785	1,54,069	
C.J. Hisar I	34,79,078	1,96,712	
C.J. Hissar II	12,600	734	
D.J. Karnal	69,22,229	57,8,270	
D.J. Gurgaon	63,08,128	8,73,081	
D.J. Yamunangar	20,27,008	1,97,383	
D.J. Kurukshetra	13,74,027	67,787	
D.J. Kaithal	2,76,254	24,908	
D.J. Jind	15,63,718	64,401	
D.J. Sirsa	3,77,418	45,679	
D.J. Bhiwani	11,19,735	1,03,267	
D.J. Panipat	Nil	Nil	
D.J. Palwal	Nil	Nil	
D.J. Sonapat	50,47,390	3,68,800	
D.J. Jhajjar	18,36,975	1,49,621	
D.J. Rewari	31,147	3,064	
D.J. Faridabad	25,14,410	2,78,851	
D.J. Rohtak	62,87,360	3,65,095	
D.J. Narnaul	6,25,715	32,147	
Total	4,21,34,977	35,03,870	

3. कृषि फार्म

वित्त वर्ष 2013-2014 में जेल कृषि फार्म पर कुल खर्चा रुपये 25,30,508 किया गया तथा कृषि फार्म से कुल उत्पादन रुपये 54,66,077/- का हुआ। इस प्रकार कृषि फार्म से वर्ष भर में कुल आय रुपये 36,07,569/- हुई। जिस का विवरण निम्नप्रकार से है :-

क्रम जेल का नाम सं०	कुल खर्चा रुपये में	कुल उत्पादन रुपये में	कुल आय रुपये में
1 केन्द्रीय जेल अम्बाला	3,39,940	6,14,719	2,74,779
2 केन्द्रीय जेल हिसार 1	71,848	2,43,943	1,72,095
3 जिला जेल, रोहतक	3,770	11,120	7,350
4 जिला जेल, करनाल	7,74,150	27,16,587	19,42,437
5 जिला जेल, भिवानी	8,377	14,772	6,395
6 जिला जेल, सोनीपत	3,13,476	4,01,096	87,620
7 जिला जेल, जीन्द	9,71,718	12,69,737	2,98,019
8 जिला जेल, सिरसा	47,229	1,94,103	1,46,674
9 जिला जेल पानीपत	0	0	6,72,000
कुल जोड़	25,30,508	54,66,077	36,07,569

4. कपड़ा

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए (केन्द्रीय) जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी इयूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतु कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झाड़न/बस्ते/कार्यालय के लिए पर्दे/तैलिये/अस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग संचार रूप से पूरी की जा रही है।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सजा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगे, वहां ये आत्मनिर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय-3

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल
करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। कैलेण्डर वर्ष 2013 में इस स्कूल में 884 वार्डर तथा हैड वार्डरों, उप सहायक अधीक्षक के साथ-2 अधीक्षक, उप अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस संस्था में जेल मैनुअल, कारागार प्रशासन, कानून, किमिनलोजी, शाइकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण से कैदियों में सुधार के साथ-2 अग्रस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार करने के उपायों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा राज्य के जेल अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, इसलिये उन्हें अन्य संस्थानों पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

2. स्त्रियों के लिए कारागार

हरियाणा में वर्ष 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बन्दी स्त्रियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था। यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों की अलग देख-भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, गैटरन व महिला प्रहरी भी नियुक्त हैं। परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि इस प्रकार सभी महिला बन्दी अपने परिवारों से काफी दूर हिसार में ही बन्द हो जाती थी। एक ही अभियोग में अभियुक्त होने पर महिला बन्दी हिसार में होती थी और उसके रिश्तेदार बन्दी हरियाणा की अलग-अलग जेलों में होते थे। अदालतों में पेश करने के लिये लम्बा सफर तय करना पड़ता था। अब महिला बन्दियों के वार्ड पलवल/पानीपत/रिवाड़ी, जिला जेल कुरुक्षेत्र एवं केन्द्रीय जेल हिसार को छोड़कर अन्य सभी जेलों में बना दिये गये हैं।

वर्ष 2013 में जेल में हुई भर्ती स्त्रियों की संख्या तथा उनकी/रिहाई का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:-

1.1.2013 को स्त्री कैदियों की संख्या	सोधे/बदली द्वारा जेल में आये स्त्री बन्दियों की संख्या	मुक्त किए गए/ बदली किए स्त्री बन्दियों की संख्या	31.12.2013 को स्त्री बन्दियों की संख्या
746	1,958	1,873	830

कैलेण्डर वर्ष 2013 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक अधिकतम संख्या 876 रही है। बन्दियों के कपड़ों की मरम्मत के लिए/कुछ और कार्य जैसे सिलाई/कढ़ाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।

3. छोटे बच्चों का ब्यौरा

बन्दी औरतों के साथ 76 बच्चे 31.12.2013 को बन्द थे।

4. शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग :-

दूसरे कार्यक्रमों के साथ-2 किशोर बन्दियों की शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा की ओर भी ध्यान रखा जाता है। उन्हें ड्रिल, जिमनास्टिक तथा यौगिक अभ्यास प्रशिक्षण ड्रिल प्रशिक्षकों द्वारा करवाया जाता है। साथ ही बासकेट बाल, कबड्डी आदि क्रीड़ाओं का भी प्रबन्ध है। बन्दियों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम भी सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याखानों का प्रबन्ध किया जाता है।

5. मनोरंजन

किशोर बन्दियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी0 वी0 का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा चलचित्र और ड्रामों भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर ज्ञान बढ़ता है।

अध्याय-4

1. बन्दी संख्या

हरियाणा की जेलों में बन्दियों की संख्या 31.3.2013 को 16,933 थी और यह संख्या 31.12.2013 को 17,655 हो गई।

2. बन्दियों का प्रवेश तथा निकास

कैदियों की संख्या 1.4.2013 को 6,382 थी। वर्ष भर में 4,527 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आये और 3,881 बन्दियों की रिहाई के बाद 31.12.2013 को कुल 7,028 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

बन्दियों की औसत दैनिक संख्या 1.1.2013 से 31.12.2013 तक 17,407 रही थी। सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 18,350 थी।

3. नजरबंद

पूरे वर्ष में कोई दोषी नजरबंद नहीं रहा।

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय

वर्ष के अन्त में सिद्धदोषियों का धर्म, आयु तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :-

तालिका -1

धर्म	बन्दियों की संख्या/प्रतिशत
ईसाई	37 00.21
मुसलमान	1,644 09.31
हिन्दु तथा सिख	15,844 89.74
बौद्ध तथा जैन	130 00.74
दूसरे अन्य धर्म	17,655 100
कुल	

तालिका-2

अवस्था	बन्दियों की संख्या/प्रतिशत
16 साल से 18 तक	...
18 से 30	9,011 51.0
30 से 50	6,749 38.2
50 से ऊपर	1,895 10.8
कुल	17,655 100.0

4. शिक्षा :-

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	4,765	27
शिक्षित	12,890	73
कुल	17,655	100

व्यवसायिक शिक्षा प्रोग्राम-

वोकेशनल सेंटर फरीदाबाद, करनाल, गुडगांव और सिरसा जेल में खुला हुआ है जिनमें विभिन्न प्रकार के कोर्सिस जैसे कारपेटर, बेकरी/ कान्फैक्शरी, बैल्डिंग टेक्नालजी, प्लम्बरिंग, काटिंग, टेलरिंग, टीवी0 रिपेयर, लाईब्रेरी विज्ञान, योगा, कम्प्यूटर डाटा इन्ट्राज आपरेटर इत्यादि कराये जा रहे हैं।

5. दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
मृत्यु दण्डित	11	00.16
आजीवन कारावास	3,612	51.41
10 वर्ष से 13 वर्ष तक	1,272	18.10
7 वर्ष से 9 वर्ष तक	925	13.16
5 वर्ष से 6 वर्ष तक	450	06.40
2 वर्ष से 4 वर्ष	336	04.80
1 वर्ष से 2 वर्ष	215	03.05
6 महीने से कम	117	01.66
3 माह से 6 माह तक	30	00.42
3 महीने से कम	60	00.85
कुल जोड़	7,028	100.00

6. अम्यस्थ कैदी (हैबीच्यूल)

वर्ष के अन्त में 7,028 कैदियों में 58 अम्यस्थ बंदी थे।

7. विचाराधीन बन्दी

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 1.1.2013 को 10,218 थी। वर्ष भर में 54,167 और विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। इस वर्ष 53,758 बन्दियों को छोड़ा। गया ऐसे बन्दियों की वर्ष के अन्त में संख्या 10,627 (दिसम्बर 2013) थी।

8. बंदियों का स्वास्थ्य

बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा। बंदियों का स्वास्थ्य स्तर ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिये विशेष प्रयास किये गये जैसे कि डी.डी.टी.

के छिडकाव इत्यादि। नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरों के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बन्दियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पेशल वार्ड में रखा गया और उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया।

9. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचन

21,070 बंदी वर्ष भर 1.1.2013 से 31.12.2013 तक मैडिकल सुविधा हेतु जेल से बाहर अस्पताल में गए।

जेल विभाग में स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों जैसे डाक्टर/फार्मासिस्ट इत्यादि पद भरे हुये नहीं थे। इनका मनोबल उंचा करने के लिये विभाग के पत्र कर्मांक 32970 दिनांक 14.11.2013 सरकार को नये डाक्टर एवं सेवानिवृत्त डाक्टरों को जेल विभाग में नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000+5000 conveyance charges बढ़ाकर 45000+ 5000 conveyance charges का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था।

उद्धार प्रभार

सदाचार बन्धियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम-1958

1. विभाग का कार्यक्रम

विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2013-14 में श्री शरद कुमार, भा0पू0से0 एवं श्री यश पाल सिंगल, भा0पू0से0, महानिदेशक कारागार हरियाणा, डा0 के0पी0 सिंह, भा0पू0से0अपर महानिदेशक कारागार हरियाणा, श्री जगजीत सिंह, अपर महानिरीक्षक कारागार, श्री वी0के0 शर्मा, मुख्य लेखा अधिकारी, श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायवादी, श्रीमती सुरेश बाला, कार्यालय अधीक्षक, श्रीमती नीलम नागी, उप अधीक्षक, श्री रामबीर, उप अधीक्षक एवं श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी, श्री लखवीर बराड, उप अधीक्षक हैडक्वाटर जेल मुख्यालय के पास रहा।

भाग-1

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम-1958 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

भाग-11

परिवीक्षा अधिनियम 1958

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को जेल में न रखकर संस्था में रखकर सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। यह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा सारणी नं० 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी नं०-1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 1297 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 38 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख-भाल से 31.03.2014 को 151 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 1,093 निरीक्षण किए।

सारणी नं०-2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 286 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम धारा-3 के अधीन भर्त्सना करके नहीं छोड़ा गया, 53 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 211 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य सतोषजनक रहा। बन्धियों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी सतोषजनक रहा। बन्धियों के कल्याण कार्य में भी प्रगति हुई।

वर्ष 2013-14 में विभिन्न उद्योगों से रुपये 53,18,404/- का उत्पादन हुआ।

आंकड़ों के मध्यनजर सूचना निम्न प्रकार से है :-

क. 18 से 30 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 73 प्रतिशत हो गई।
ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े-लिखों की संख्या 67 प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष से 2 वर्ष तक सजा पात्र बन्धियों की संख्या 3 प्रतिशत हो गई क्योंकि थोड़ी अवधि वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिए यथा समय थोड़ी अवधि की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

घ. 10 वर्ष से 13 वर्ष तक दण्डित बन्धियों की संख्या 18 प्रतिशत रही।

ङ. लगभग 83.49 प्रतिशत विचाराधीन बंदी छोड़े गये। विचाराधीन बन्धियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लघु अपराध में विचाराधीन बन्धियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

बन्धियों की शिक्षा, पुनर्वास एवं समाज में पुनर्स्थापन बारे

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 355 आफ 2014 Kaushal V/s State of Haryana में दिनांक 24.3.2014 को आदेश पारित हुये कि विभाग शिक्षा प्रदान करने बारे अपना हल्कनामा फाईल करे। शिक्षा के सम्बन्ध में हरियाणा की जेल केन्द्रीय जेल हिसार/अम्बाला/करनाल/गुडगांव/नारनौल/जीन्द सोनीपत/फरीदाबाद/कुरुक्षेत्र एवं झज्जर पर राष्ट्रीय खुला विद्यालय स्थापित है एवं इन्दिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय द्वारा अम्बाला/गुडगांव/फरीदाबाद एवं सिरसा पर अपने केन्द्र स्थापित किये हुये हैं। इस रिट पैटीशन के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही विभाग द्वारा अगल में लाई जा रही है।

बन्धियों के कल्याणार्थ

सरकार के पत्र यादी क्रमांक 31/43/20084 जेजे।। दिनांक 21.10.2011 द्वारा बन्धियों के कल्याण के लिये बन्धियों के लिये दूरभाष सुविधा हेतु एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। यह सुविधा बन्धियों को उनके परिवार जनों

- के साथ सुख दुख सांझा करने के लिये दी गई है। इस सुविधा से बन्दियों के परिजनों के अपने खर्च में कटौती एवं लम्बी दूरी तय करने से समय को बचाया जा सकेगा। आगामी वर्ष 2014-15 में इस सुविधा को शुरू कर दिया जायेगा।
2. जिला जेल करनल के लिये ब्रेड बन्द बनाने के लिये बेकरी यूनिट स्थापित करने की अनुमति विभाग के पत्र क्रमांक 27119 दिनांक 17.9.2013 द्वारा करनल जेल को दी गई।
3. करनल जेल को उनकी कार्य कुशलता एवं योग्यता के अनुसार मुशकत लगाई बन्दियों को उनकी कार्य मिलने वाली वेजिज को सीधे तौर पर राष्ट्रीयकृत जाती है और बन्दियों को मिलने वाली खातों में राशि जमा करवा दी जाती है। दिनांक बैंकों में खोले गये उनके निजी खातों में राशि जमा करवा दी जाती है। दिनांक 31.3.2013 तक सभी बन्दियों को वेजिज दी जा चुकी है।
4. सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 31.3.2014 द्वारा प्रीजन एक्ट 1894 की धारा 42 में एक अनुभाग जोड़कर संशोधन किया गया जिसके द्वारा जेल में मोबाईल फोन मिलने पर सजा सख्त कर दी गई है।
5. जेलों पर पड़ी बेकार भूमि में सब्जियां लगाने के लिये नये सिरे से कदम उठाये जा रहे हैं।
6. बन्दियों को बेहतर पैरोल सुविधा प्रदान करने हेतु एक साफ्ट वेयर विकसित किया गया है जोकि बन्दियों को निर्धारित अवधि में पैरोल प्रदान करने में कारगर होगा।
7. बन्दियों के कल्याण हेतु बेहतर सुविधा वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस मुलाकात कक्ष पलवल/रिवाड़ी एवं पानीपत को छोड़कर अन्य सभी जेलों पर बनाने हेतु स्वीकृति कुल रुपये 4 करोड़ 70 लाख 70 हजार सरकार के यार्द क्रमांक 31/4/13/4 जेजे 11 दिनांक 18.12.2013 द्वारा प्राप्त हो चुकी है जिसका कार्य हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।
8. सरकार से अनुमोदन उपरान्त जेलों में बन्दियों की भलाई एवं उनके लिए व्यवसाय स्थापित करने के लिये Public Private Partnership Project शुरू किए गये जिससे सरकार का कोई व्यय नहीं होगा। इस योजना का सरकार के यार्द क्रमांक 31/77/7-4 जेजे II दिनांक 9.12.2013 द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
9. हरियाणा कारागार विभाग के प्रतीक चिन्ह लोगो व राष्ट्रीयध्वज मुख्यालय फहराने बारे प्रस्ताव विभाग के पत्र क्रमांक 6042 दिनांक 19.2.2014 द्वारा सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया।

के कल्याणार्थ

1. सरकार ने कर्मचारियों का नैतिक मनोबल बनाये रखने हेतु सभी कार्यकारी स्टाफ का जोखिम भत्ता पुलिस विभाग की तर्ज पर 5000/- प्रतिमास प्रदान किया गया।
2. कारागार विभाग द्वारा 3 अक्टूबर, 2013 को विभाग की वेबसाईट का शुभारम्भ किया गया जिसमें आम नागरिकों हेतु विभागीय सूचनाये उपलब्ध करवाई गई है। इस वेबसाईट के शुरू होने से सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बार-2 एक ही प्रकार की मांगी जाने वाली सूचनाओं में कमी आयेगी।
3. विभाग के पत्र क्रमांक 32970 दिनांक 14.11.2013 द्वारा सरकार को नये डाक्टर एवं सेवानिवृत्त डाक्टरों को जेल विभाग में नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000 + 5000 conveyance charge में से बढ़ाकर 45000 + 5000 conveyance प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था।
4. विभाग के वार्डर स्टाफ के कर्मचारियों का हैडक्वार्टर कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा के कार्यालय में स्थापित करने बारे आदेश क्रमांक 5890/99 दिनांक 18.2.2014 द्वारा दिये जा चुके हैं ताकि कर्मचारियों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े तथा प्रशासनिक सुविधा भी हो।
5. विभाग में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने हेतु सभी सम्बन्धित को मांग पत्र (Requisition) भेजी जा चुकी है और इन रिक्तियों को भरने के सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं।

यशपाल सिंगल,
महानिदेशक कारागार, हरियाणा।

81

क्र.सं.	वर्ष	प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट 2013-14 वर्ष के दौरान को भेजे गये।	राज्य से बाहर	राज्य	राज्य	कूल
कम	सं०	प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट 2013-14 वर्ष के शुरू होने पर 2013-14 वर्ष के शुरू होने पर 2013-14 वर्ष के शुरू होने पर	राज्य	राज्य	राज्य	कूल
1.	अमानता	3	4	5 क	5 ख	12
2.	हिसार	3	4	5 क	5 ख	11
3.	रोहतक	8	44	2	0	15
4.	करनाल	633	2	2	0	27
5.	फिरोज़ा	0	113	110	3	635
6.	पानीपत	240	2	0	0	2
7.	गुजरात	413	1	12	0	414
8.	मिर्जापुर	0	4	28	0	1093

क्र.सं.	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्त्सना करके छोड़े गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (3) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला				23
2.	हिसार	0	21	2	19
3.	रोहतक	0	0	19	8
4.	करनाल	0	8	0	30
5.	सिरसा	0	15	15	2
6.	जीन्द	0	0	2	179
7.	गुडगांव	0	167	12	25
8.	भियानी	22	0	3	286
	कुल	22	211	53	

POPULATION STATEMENT OF THE PRISONERS IN THE JAILS OF HARYANA AS ON 31-12-2013

Sr. No	Name Of Jail	Capacity	Confined Prisoners	Condemned Prisoners	Civil/Other Prisoners	Foreigners Prisoners	Total Convicts	Foreigner Prisoners	Undertrial Prisoners	Undertrial Prisoners	Total Prisoners	Grand Total
1	Ambala	1228	253	19	250	8	5	1	18	19	20	21
2	C.J. Hisar	1020	432	0	223	0	2	0	1014	40	694	1270
3	C.J-2 Hisar	355	20	24	48	11	0	0	1014	0	1014	1696
4	Rohat	1300	206	24	89	13	0	0	111	50	161	273
5	Karnal	2434	453	47	445	19	0	0	913	97	1010	1348
6	Gurgaon	2412	464	20	321	2	0	0	1129	84	1213	2192
7	Bhiwani	561	235	16	194	13	4	0	1403	41	1444	2298
8	Sirsa	567	177	9	160	10	0	0	477	30	507	978
9	Sonepat	363	91	77	0	0	5	0	470	25	495	856
10	Jind	400	154	15	122	13	0	0	680	0	680	867
11	KRR	446	105	0	124	0	0	0	535	22	557	865
12	Narnaul	299	115	12	70	4	0	0	256	0	256	489
13	Rewari	30	0	0	10	0	0	0	450	17	467	671
14	Kathal	383	108	4	101	3	0	0	46	0	46	57
15	Faridabad	2500	387	11	394	14	0	0	165	10	175	395
16	YMN	1200	148	14	203	15	0	0	336	23	359	750
17	Palwal	40	0	0	0	0	0	0	64	0	64	65
18	Panipat	35	0	0	0	0	0	0	55	0	55	65
19	Jhajjar	1074	187	14	92	0	6	0	360	0	360	659
Total		16647	3535	229	2924	125	11	1	10129	472	10601	17655

Sr. no.	Items	Expenditure 2013-14	Percentage of Expenditure
1	Salary	46,37,13,000	36.00%
2	Dearness Allowance	32,96,63,000	26.00%
3	Medical Reimbursement	89,25,000	00.69%
4	Traveling Expenses	11,21,000	00.08%
5	Office Expenses	9,62,25,000	00.07%
6	Rent Rate Taxes	46,000	00.04%
7	Petrol Oil Lubricant	16,06,000	00.12%
8	Leave Travel Concession	1,07,44,000	00.83%
9	Exgratia	1,10,90,000	00.86%
10	Motor Vehicle Purchase	5,20,000	00.04%
11	Contractual Service	2,80,000	00.02%
12	Prison Welfare Service And Commitment Charges	1,34,06,000	01.00%
13	Other Charges (Dietary Items Of Prisoners)	30,39,60,000	23.00%
14	Prisoners Wages	3,83,17,000	02.00%
15	Minor Work	5,00,000	00.03%
16	Machinery And Expenditure	2,42,000	00.01%
17	Material And Supply	60,84,000	00.03%
Total		128,64,42,000	100%

POPULATION OF PRISONERS OF HARYANA JAILS FROM 1966 TO 2014

Sr. No.	YEAR	AUTHORIZED ACCOMMODATION	ACTUAL POPULATION
1	1966	3315	2369
2	1967	3315	3479
3	1968	3315	2458
4	1969	3315	2558
5	1970	3538	2726
6	1971	3538	2839
7	1972	3538	3318
8	1973	3538	2677
9	1974	3538	2908
10	1975	3538	2953
11	1976	3538	3504
12	1977	3538	3124
13	1978	3538	2264
14	1979	3538	2893
15	1980	3538	2578
16	1981	3538	2374
17	1982	3598	2815
18	1983	3598	2806
19	1984	3598	3098
20	1985	3598	3379
21	1986	3633	3635
22	1987	3633	3282
23	1988	3633	3596
24	1989	3633	3454
25	1990	3633	4025
26	1991	3633	4443
27	1992	3633	4851
28	1993	3633	5677

Sr. No.	Name of Jail	Acrc	Kanal	Marla	Date Of Starting
1	C.J. Ambala	112	2	12	1872
2	C.J. Hisar I	62	1	14	1953
3	C.J. Hisar II	33	2	0	15-9-2013
4	D.J. Karnal	130	0	0	25.11.2004
5	D.J. Gurgaon	87	3	10.4	03.10.2003
6	D.J. Yamunanagar	50	7	10	29.08.2009
7	D.J. Kurukshetra	15	3	0	05.01.1995
8	D.J. Kaithal	11	3	0	1985
9	D.J. Jind	58	0	14	22.11.1985
10	D.J. Sirsa	20	3	0	28-03-1999
11	D.J. Bhiwani	90	4	9	1/5/1978
12	D.J. Panipat	0	4	15.5	1962 (Approx.)
13	D.J. Palwal	0	5	10	1930 (Approx.)
14	D.J. Sonapat	35	0	0	15/09/1986
15	D.J. Jhajjar	48	5	10	19/08/2011
16	D.J. Rewari	1	5	5	1970
17	D.J. Faridabad	86	2	18	22/10/2010
18	D.J. Rohtak	104	4	0	09.04.2012
19	D.J. Narnaul		3	12	25-11-2005

Annexure-A

29	1994	3603	5694
30	1995	3775	6725
31	1996	3775	6639
32	1997	3775	8167
33	1998	3775	7775
34	1999	3905	8943
35	2000	3905	9510
36	2001	4135	10608
37	2002	5567	11040
38	2003	6882	11408
39	2004	6882	11167
40	2005	9115	11081
41	2006	10587	11796
42	2007	10587	12401
43	2008	10678	13284
44	2009	11752	13904
45	2010	14320	15146
46	2011	16034	15274
47	2012	16964	16490
48	2013	16647	17358
49	1/4/2014	16647	17788

No.	Name of Jails	Number of absconder for the year 2013-14	Number of absconder in the current year.
1	Central Jail Ambala	47	42
2	Central Jail Hisar-I	22	16
3	Central Jail Hisar-II	1	0
4	District Rohtak	38	37
5	District Jail Karnal	33	23
6	District Jail Gurgaon	19	17
7	District Jail Bhiwani	5	4
8	District Jail Sirsa	5	5
9	District Jail Sonapat	16	13
10	District Jail Jind	13	10
11	District Jail Kurukshetra	1	1
12	District Jail Narnaul	2	2
13	District Jail Rewari	1	1
14	District Jail Kaithal	1	1
15	District Jail Faridabad	2	1
16	District Jail Yamunanagar	1	1
Total		207	174

Annexure-I

Sr. No.	Name of Jails	Present Capacity	Number of inmates as on 1-1-2015
1	Central Jail Ambala	1228	1229
2	Central Jail Hisar-I	1020	2379
3	Central Jail Hisar-II	355	453
4	District Rohtak	1300	1342
5	District Jail Karnal	2434	2225
6	District Jail Gurgaon	2412	2138
7	District Jail Bhiwani	561	1061
8	District Jail Sirsa	567	847
9	District Jail Sonapat	363	909
10	District Jail Jind	400	696
11	District Jail Kurukshetra	446	467
12	District Jail Narnaul	299	651
13	District Jail Rewari	30	92
14	District Jail Kaithal	383	442
15	District Jail Faridabad	2500	2001
16	District Jail Yamunanagar	1200	740
17	District Jail Palwal	40	51
18	District Jail Panipat	35	51
19	District Jail Jhajjar	1074	885
Total		16,647	18659

Note:- The authorized capacity of Central Jail Hisar is 1020 but at present there are 2379 prisoners confined in this jail as on 1-1-2015. Which includes 940 prisoners in connection with the Sant Ram Pal Case in Central Jail-I, Hisar which has suddenly inflated the number of inmates.

Annexure-C

Sr. No.	Name of Jail	Name of work	Present capacity	After increase	Funds Requirement
1	District Jail Bhiwani	6 Additional Barracks	561	1317	1650-00 lac
2	District Jail Sirsa	2 Additional Barracks	567	819	1000-00 lac
3	District Jail Jind	4 Additional Barracks	400	904	1200-00 lac
4	District Jail Sonapat	4 Additional Barracks Female Barracks	561	1317	1650-00 lac
5	Central Jail-II Hisar	2 Additional Barracks	355	607	788-00 lac
6	District Jail Rohtak	Second phase with Capacity of 1000. The construction is being done by Public Works Department. The Second phase has 5 barracks, 1 kitchen, 1 special security cell, 1 library, 1 High Security ward with 2 warders hostel.	1300	2300	Total amount required 2728.19 Lac In Year (2015-16) 1500-00 lac Demanded
7	District Jail Panipat	New Jail Capacity of 1000	35	1000	Total amount required 4581.51 lac in the year (2015-16) 2500-00 lac Demanded
8	District Jail Rewari	New Jail Capacity of 1000	30	1000	Total amount required 7439.00 lac in the year (2015-16) 3500-00 lac Demanded

Proposal for the procurement of land for construction of jails in Palwal, Fatehabad and Panchkula are being pursued vigorously, which will ease congestion in the jails of neighboring districts where prisoners belonging to these districts are lodged presently.